तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामजीलाल बनाम कैलाश चन्द सैनी प्रार्थना पत्र मुन्तकिली :– जीसीएमएस नम्बर 2024/58	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.07.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 4 की टिप्पणी लगभग 1 माह गुजरने के बाद भी अप्राप्त। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से सी.एल.मीना, एड. ने वकालतनामा पेश किया। शा.फा. हो। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस अवगत करवाया कि अप्रार्थी संख्या 4 की टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण में विलम्ब हो रहा है, जो न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 4 की टिप्पणी का इंतजार किये बगैर ही प्रकरण को निर्णित किया जावे। जिस पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्णय हेतु यह आवश्यक है कि पक्षकारान को निष्पक्ष निर्णय दिखने के साथ–साथ महसूस भी होना चाहिये। ऐसी स्थिति में जब प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा से स्वतंत्र न्याय नहीं मिलने का अंदेशा जाहिर कर हस्तगत प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रस्तुत कर दिया है तो त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी का इंतजार किये बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 14(4) अन्तर्गत आंवटन नियम 1970 मु.नं. 11/2018 उनवान रामजीलाल बनाम कैलाश वगैरह को अन्य न्यायालय को स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 14(4) अन्तर्गत आंवटन नियम 1970 मु.नं. 11/2018 उनवान रामजीलाल बनाम कैलाश वगैरह को न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थानान्तरित किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा एवं जिला कलक्टर दौसा को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवायी जावें। हस्तगत पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (डॉ. प्रवीण कुमार) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	